न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 805 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 294 / 2026

08/06/26	**1. अरविन्द यादव पे0 भुटाय यादव** **2. अर्जुन यादव पे0 भुटाय यादव** **3. भुटाय यादव पे0 स्व0 मुन्नी लाल यादव** **सभी सा0– बैरिया वार्ड नं0 11, थाना व जिला–सुपौल.....आवेदकगण** **बनाम्** **बिहार सरकार.....विपक्षी** --- प्रार्थी अभियुक्तगण अरविन्द यादव, अर्जुन यादव एवं भुटाय यादव की ओर से सुपौल थाना कांड सं0–294 / 2026 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार सिंह ने निवेदन किया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण को ग्रामीण राजनीति एवं आपसी वैमनस्यता के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध 303(2) बी0एन0एस0 एवं 25(1-b)a/26/35 Arms Act के तहत् लगाया गया आरोप नहीं बनता है, उक्त आरोप मुकदमा को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कहना है कि सूचक से पूर्व से विवाद चल रहा है, उसी विवाद को लेकर प्रार्थी अभियुक्त को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा किसी के साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं किया गया है। प्रार्थी आवेदक के पास से या घर से किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। प्रार्थी अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक श्री अबू जफर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद, सूचक गोलू कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्रार्थी अभियुक्तों सहित कुल 4 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 126(2), 115 (2), 351(2), 352, 303(2), 3(5) BNS एवं 25(1-B)a/26/35 में दर्ज किया गया है। संक्षेप में सूचक का कथन है कि दिनांक 20 / 04 / 2026 के शाम के 7 बजे वह शिवशंकर यादव के यहां भोज खाने जा रहा था। बैरिया मंच पहुंचा तो चिनटु कुमार तथा 2 अज्ञात उम्र करीब 22–23 तीनों सूचक का पीछा करना शुरू कर दिया सूचक डर कर बोला उनका पीछा क्यों कर रहे है। इस पर तीनों लोग मिलकर सूचक को मकई के खेत के पास घेर लिया और अन्य ग्रामीण आये तब चिनटु कुमार से ग्रामीण थ्रीनट छीन लिया तथा कुछ देर बाद अरविंद यादव, अर्जुन यादव, भुटाय यादव तथा चिन्टु कुमार भोज वाले घर पहुॅचकर उसके पापा एवं चाचा तथा उसके साथ मारपीट वो हाथापाई करने लगा और बोला कि उसके बेटा का हथियार वापस करो अन्यथा लाश गिरा देंगे। अरविन्द्र एवं अर्जुन यादव सूचक के चाचा मनोज यादव के गले से एक भरी सोने का सिकड़ी छीन लिया तब तक पुलिस को खबर किसी ने दिया पुलिस आई उसके उक्त थ्रीनट पुलिस को सुपूर्द किया गया। सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक जब शिवशंकर यादव के यहां भोज खाने जा रहा था एवं जैसे ही बैरिया मंच पहुंचा तो कांड के सह अभियुक्त चिंटु कुमार दो अन्य अज्ञात के साथ उनका पीछा करने लगा और मकई के खेत के पास घेर लिया इसी बीच ग्रामीण आकर चिंटु कुमार से थ्रीनट छीन लिया तथा कुछ देर बाद चिन्टु कुमार तथा प्रार्थी अभियुक्तगण भोज वाले घर में पहुॅचकर सूचक के पापा तथा चाचा के साथ हथियार लौटाने के लिए मारपीट–हाथापाई करने लगे इसी बीच पुलिस को खबर किया गया तथा पुलिस आयी एंव पुलिस को	**लगातार**

न्यायालयः राकेश कुमार–तृतीय
अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 805 / 2026
सुपौल थाना कांड सं0– 294 / 2026

08/06/26 **लगातार**	हथियार मनोज कुमार यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त तथ्यों से विदित होता है कि हथियार प्रार्थी अभियुक्तगण के पास से बरामद नहीं हुआ है इनपर सिर्फ मारपीट एवं गाली–गलौज करने का आरोप है। कांड दैनिकी के कंडिका 12, 15, 16 एवं 17 में साक्षीगण क्रमशः शिवशंकर यादव, गोलु यादव, मनोज कुमार एवं धीरेन्द्र यादव का बयान दर्ज है जिन्होंने अपने–अपने बयान में बताया है भोज खाने के दौरान दोनो पक्षों के बीच गाली–गलौज एवं मारपीट की घटना हुई थी तथा हथियार के संबध में बताया कि हथियार सह अभियुक्त चिन्टु कुमार के पास से छीना गया था इसके अलावे इन साक्षियों ने और कोई उल्लेखिन बात नहीं बतायी। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कांड के सह अभियुक्त चिन्टु कुमार से हथियार छीनने की बात बतायी गयी है तथा उक्त हथियार पुलिस को स्थानीय व्यक्ति मनोज कुमार यादव के द्वारा सुपुर्द किया गया था। प्रार्थी अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है तथा कंडिका 49 में प्रार्थी अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। ऐसी परिस्थति में इनको अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थी अभियुक्तगण **अरविन्द यादव, अर्जुन यादव एवं भुटाय यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी या 30 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने कि स्थिति में निम्न न्यायालय अभियुक्तगण को मो0 10,000 / – रूपये के समान राशि के दो–दो जमानतदारों के साथ बंधपत्र देने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधिन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है किः– 1. प्रार्थी अभियुक्तगण का एक–एक जमानतदार उसके माता / पिता / नजदीकी रिस्तेदार होंगे। 2. प्रार्थी अभियुक्तगण बंध पत्र दाखिल करते वक्त विद्वान निम्न न्यायालय में इस आशय का वचनबद्धता दाखिल करेगा कि वह भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं रहेगा, यदि पाया गया, तो विद्वान निम्न न्यायालय उसका बंध पत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होगें। 3. प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्तगण को बंध पत्र पर मुक्त करने के पश्चात् प्रार्थी अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास का सत्यापन करा लेंगे एवं प्रार्थी अभियुक्तगण का यदि कोई आपराधिक इतिहास पाया जाता है तो विद्वान न्यायालय प्रार्थी अभियुक्तगण का बंधपत्र खंडित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। 4. प्रार्थी अभियुक्तगण वाद के विचारण में सहयोग करेंगे। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	